फर्द अहकाम

पतासीदेवी बनाम भोलाराम

…यालय

…या 51/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15/4/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। वास्ते बहस T.I. हेतु पत्रावली दिनांक 13/5/25 को पेश हो।	
13/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। वास्ते बहस T.I. हेतु पत्रावली दिनांक 20/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)	
20/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की T.I. पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर न्यायालय से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली राजस्व रिकार्ड, जवाब अप्रार्थीगण का अवलोकन करने व वकील प्रार्थी की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजी है मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाना उचित समझते है अतः आदेश दिये जाते है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली मन्सूख होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	